

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 381/09

संस्थापन दिनांक:-16/12/09

फाईलिंग नं. 233504000032009

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

मेंदराव पिता मनोहरी परते

उम्र 25 वर्ष, निवासी रतेड़ाकला,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.11.2009 को शाम 07:00 बजे ग्राम रतेड़ाकला फरियादी झम्माबाई का घर थाना आमला जिला बैतूल में सुनीताबाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2009 को शाम 07:00 बजे अभियुक्त मेंदराव शराब पीकर फरियादी झम्माबाई के घर आया और कहा कि तू सुनीता को यहां पर क्यों रखी है, सुनीता गलत करती है जिस पर उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है बाद में वह उसके घर चली जायेगी। इसी बात पर से अभियुक्त ने लकड़ी से उसके बांये कंधे पर मारा। जब सुनीता बीच बचाव करने आयी तो उसे भी लकड़ी से मारा जिससे सुनीता को बांये आंख के पास चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 424/09 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी झम्माबाई का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 325 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से

दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त का आहत सुनीता से राजीनामा न होने से आहत सुनीता के संबंध में अभियुक्त पर लगे धारा 323 भा.दं.सं. में अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने आहत सुनीता को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
2. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

6 झम्माबाई (अ.सा.-5) का कहना है कि आहत सुनीता उसकी लड़की है। अभियुक्त मेंदराव ने सुनीता को जब वह बीच बचाव करने आयी थी तो लकड़ी से मारा था। डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 09.11.2009 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुनीता का परीक्षण किये जाने पर आहत की बायीं आंख के उपर 1 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

7 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी साक्षी से अभियोजन का समर्थन नहीं होता है। आहत साक्षी का परीक्षण भी नहीं हुआ है। स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सुकली (अ.सा.-1) एवं

दुर्गेश (अ.सा.-4) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9 प्रकरण में आहत सुनीता एवं विवेचक साक्षी बसंत मिरासे की साक्ष्य हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त उनकी साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। अभिलेख पर मात्र झम्माबाई (अ.सा.-5) की साक्ष्य उपलब्ध है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि झम्माबाई का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है।

10 झम्माबाई (अ.सा.-5) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि विवाद के दौरान जब आहत सुनीता बचाने के लिए आयी थी तब अभियुक्त ने उसे लकड़ी से मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि सुनीता ने उससे कहा था कि मेंदराव बहुत परेशान करता है उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन स्वतः में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त ने मारा था। साक्षी से पुनः परीक्षण में यह पूछे जाने पर कि क्या आहत सुनीता को बीच बचाव के दौरान अभियुक्त ने मारपीट की थी तो साक्षी ने कहा कि अभियुक्त ने सुनीता को भी मारा था।

11 झम्माबाई (अ.सा.-5) की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। आहत सुनीता के चिकित्सकीय परीक्षण में अभियोजन द्वारा बताये गये स्थान पर ही आहत को चोट पायी गयी थी। झम्माबाई के कथनों का समर्थन प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी होता है। झम्माबाई (अ.सा.-5) अभियुक्त मेंदराव के द्वारा आहत सुनीता को मारपीट किये जाने के कथन पर पूर्णतः अखंडित रही है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त मेंदराव ने आहत सुनीता को मारपीट कर उपहति कारित की।

12 अभियुक्त के द्वारा मामूली से विवाद पर से आहत सुनीता के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुनीताबाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त मेंदराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 भा.दं.

सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

14 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

15 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

16 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा आहत के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

17 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त वर्ष 2009 से निरंतर विचारण का सामना कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त पर्याप्त सजा भोग चुका है। घटना में आहत को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

18 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत सुनीता पति सुभाष निवासी रतेड़ाकला, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)